राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : निसंशि/लेखा–1/ बजट /2018–19/34564-989 दिनांक : 20/8/2018

1. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा
2. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी
3. समस्त प्राचार्य राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय
4. समस्त संकुल प्रभारी वरिष्ठ उपाध्याय/प्रवेशिका विद्यालय

विषय :– वर्ष 2018–19 में आबंटित बजट के उपयोग बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त वर्ष 2018–19 के लिये विभिन्न बजट मदों में संबंधित संस्थाओं को बजट का आबंटन किया जा चुका है। वित्त विभाग में विभागीय बजट प्रस्तावों की बैठक माह सितंबर 2018 में होना संभावित है जिसमें स्वीकृत प्रावधानों एवं उसके विरूद्ध हुये व्यय की समीक्षा के आधार पर अतिरिक्त बजट की मांगों पर विचार किया जावेगा।

आवंटित बजट का उपयोग बकाया दायित्वों (पेडिंग बिलों) का भुगतान दिनांक 16.09.2018 तक आवश्यक रूप से करावें। बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु यदि आवंटित बजट का समुचित उपयोग नही किया गया तो ऐसी स्थिति में वित्त विभाग द्वारा वर्तमान बजट में कटोती भी की जा सकती है तथा इन मदों में अतिरिक्त राशि की स्वीकृति कराया जाना भी सम्भव नहीं होगा।

अतः यह सुचिनिश्चत कर लिया जावे कि किसी भी स्थिति में बजट की उपलब्धता होते हुये दिनांक 16.09.2018 तक बकाया दायित्वों (पेडिंग बिलों) का भुगतान लम्बित न रहे। आबंटित बजट का समय पर समुचित उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य संस्था/कार्यालय को आबंटित कर दिया जायेगा।

— Sd —

(शशि जैन)
मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : निसंशि/लेखा–1/ बजट /2018–19/34564-989 दिनांक : 20/8/2018

प्रतिलिपि : श्री शंकर सोनी, पुस्तकालयाध्यक्ष निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर